रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22042020-219097
CG-DL-W-22042020-219097

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 12] नई दिल्ली, मार्च 22—मार्च 28, 2020, शनिवार / चैत्र 2—चैत्र 8, 1942

No. 12] NEW DELHI, MARCH 22—MARCH 28, 2020, SATURDAY/CHAITRA 2—CHAITRA 8, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

उत्तर पूर्वी परिषद् सचिवालय

शिलांग, 26 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 77.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द (वर्ग 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम 2013 का अधिक्रांत करते हुए, परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में बहु-कार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमत करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोत्तर अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।

3. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता, आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोत्तर अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी ।

4. निरर्हता.—जिसनेः—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों, या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और भी कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू है वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इन नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप से रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है ।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों से केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन आव्यूह में	प्रवरणं पद अथवा गैर प्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पाने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य कर्मचारीवृन्द	46*(2020) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ग' अराजपत्रित' अनुसचिवय	वेतन बैंड 1, वेतनमान (रु.18,000—56,900)	लागू नहीं	आयु 18 से 25 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय ।) **टिप्पणी 1-** आयु-सीमा अवधारित अभ्यर्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले, पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए

					विहित की गई है।) **टिप्पणी 2-** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम होगी जहां तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती प्रणाली:** सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमलेन द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा

यदि भर्ती प्रोन्नती या प्रतिनियुक्तियां या आमलेन द्वारा की जाती हैं तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमलेन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना क्या है?	जिन परिस्थितयों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	**वर्ग 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति/स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:** 1. निदेशक, — अध्यक्ष या उप सचिव (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग 2. नियंत्रक लेखा, — सदस्य क्षेत्रीय आय और लेखा कार्यालय गृह मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, शिलांग 3. उप सचिव, — सदस्य पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	लागू नहीं

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/39/2013]

एल. बेमोफा, उप-सचिव (प्रशासन)

NORTH EASTERN COUNCIL SECRETARIAT

Shillong, the 26th February, 2020

G.S.R. 77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2013, insofar as it relates to Multi-Tasking Staff, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Multi-Tasking Staff, (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix .**—The number of said post, its classification, level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .**— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings .**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi-Tasking Staff	46*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 1 (Rs. 18,000-56900)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. (Relaxable for Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to-time). **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Matriculation or equivalent pass from a recognized Board	Not applicable	Two years for direct recruits	100 % by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1 Director or Deputy Secretary (Administration), North Eastern Council Secretariat, Shillong. - Chairman 2 Controller of Accounts, Regional Pay and Accounts Office, Ministry of Home Affairs, Shillong. - Member 3 Assistant Secretary, North Eastern Council Secretariat, Shillong. - Member	Not applicable

[F. No. NEC/ADM/39/2013]

L. BEIMOPHA, Dy. Secy. (Admn.)